

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

- | | | |
|-------------------------|--------------|---|
| 1. रामबाबू | } पि0 नारायण | } समस्त जाति गुर्जर
निवासी बलेडी
तहसील टोडाभीम
जिला करौली राज0 |
| 2. शिवराम | | |
| 3. रामकिशोर | | |
| 4. रूपन पुत्री नारायण | | |
| 5. विद्या पुत्री नारायण | | |

वादीगण

बनाम

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. रामधन पुत्र हरज्ञान | } जाति गुर्जर निवासी बलेडी |
| 2. शान्ति पत्नि हरज्ञान | |
| 3. तहसीलदार तहसील बालघाट जिला करौली राज0 | तहसील बालघाट जिला करौली राज0 |

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती


अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

मु0न0:- 139/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम बलेडी की डिक्री दी जाती है कि

ग्राम बलेडी आराजी खसरा नम्बर 460/0.12, 460/599/0.06, 461/0.10, 481/0.13, 484/0.13, 487/0.07, 491/0.20, 496/0.38 कुल किता 8 कुल रकवा 1.22 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/42, 1/42 हिस्से व मु0 शान्ति पत्नि नारायण बहिस्सा 1/42 सम्पूर्ण हिस्स हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक बहिस्सा 1/35, 1/35 के खातेदार काश्तकार, खसरा नम्बर 504 रकवा 0.04 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/180, 1/180 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/180 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमायाकर वादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/150, 1/150 के खातेदार काश्तकार, खसरा नम्बर 464 रकवा 0.05 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/36 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक बहिस्सा 1/30, 1/30 के खातेदार काश्तकार, खसरा नम्बर




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली


200/0.46, 202/0.29, 25/564/0.10, 26/1.52, 27/0.71, 280/0.71, 287/0.56, 290/0.63, 291/0.72, 383/0.28, 432/0.38, 433/0.42, 459/0.16, 459/600/0.06, 532/0.34, कुल किता 15 कुल रकवा 7.34 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार , खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/05/2026 को जारी की गई




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
दोडाभोम, जिला-कर्णाली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली
मु.नं.:- 64/2025

तारीख रजू :- 11.06.2025

पीठासीन अधिकारी :- अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

- | | | |
|-------------------------|--------------|---|
| 1. रामबाबू | } पि० नारायण | } समस्त जाति गुर्जर
निवासी बलेडी
तहसील टोडाभीम
जिला करौली राज० |
| 2. शिवराम | | |
| 3. रामकिशोर | | |
| 4. रूपन पुत्री नारायण | | |
| 5. विद्या पुत्री नारायण | | |

वादीगण

बनाम

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. रामधन पुत्र हरज्ञान | } जाति गुर्जर निवासी बलेडी |
| 2. शान्ति पत्नि हरज्ञान | |
| 3. तहसीलदार तहसील बालघाट जिला करौली राज० | |

प्रतिवादीगण

दावा वावत घोषणा खातेदारी नाम दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 आर०टी०एक्ट एवं 136 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- 1 सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट :- वादीगण की ओर से

2 प्रतिवादी नं० 1 की ओर से स्वयं उपस्थित


निर्णय

दिनांक- 05/05/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बलेडी प०ह० कटारा अजीज तहसील बालघाट के खाता संख्या 118 सम्वत् 2075-2078 आराजी खसरा नम्बर 460/0.12, 460/599/0.06, 461/0.10, 481/0.13, 484/0.13, 487/0.07, 491/0.20, 496/0.38 कुल कित्ता 8 कुल रकवा 1.22 है० ग्राम बलेडी में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण प्रत्येक 1/42, 1/42 हिस्से व मु० शान्ति बहिस्सा 1/42 की खातेदार है तथा प्रतिवादी नं० 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा 1/12, 1/12 के खातेदार है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

ग्राम बलेडी के खाता संख्या 94 में वर्णित खसरा नम्बर 504 रकवा 0.04 है० में वादीगण प्रत्येक 1/180, 1/180 हिस्से व मु० शान्ति बहिस्सा 1/180 की खातेदार है तथा प्रतिवादी




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नं0 1 व 2 प्रत्येक वहिस्सा 1/60, 1/60 के खातेदार है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।


ग्राम बलेडी के खाता संख्या 93 में वर्णित खसरा नम्बर 464 रकवा 0.05 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/36 की खातेदार है तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रत्येक वहिस्सा 1/12, 1/12 के खातेदार है शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार अपने अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

ग्राम बलेडी के खाता संख्या 92 में वर्णित खसरा नम्बर 200/0.46, 202/0.29, 25/564/0.10, 26/1.52, 27/0.71, 280/0.71, 287/0.56, 290/0.63, 291/0.72, 383/0.28, 432/0.38, 433/0.42, 459/0.16, 459/600/0.06, 532/0.34, कुल किता 15 कुल रकवा 7.34 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 की खातेदार है तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रत्येक वहिस्सा 1/4, 1/4 के खातेदार है।

ग्राम बलेडी के खाता संख्या 91 में वर्णित खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 की खातेदार है तथा शेष हिस्से 1/2 का खातेदार बेदराम सहखातेदार अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

वादपत्र में मु0 शान्ति पत्नि हरज्ञान व मु0 शान्ति पत्नि नारायण अंकित है जबकि नारायण व हरज्ञान दोनों खास भाई है। मु0 शान्ति हरज्ञान की पत्नि है लकिन रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा नारायण की विरासत खोलते समय मु0 शान्ति को पत्नि मानकर व एक पुत्र के नाम सही नामान्तकरण खोलकर तस्दीक किया। उसके बाद नारायण की विरासत खोलते समय वादीगण के साथ साथ मु0 शान्ति को नारायण की वारिस मानकर एकदम गलत तरीके से




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

नामान्तकरण खोलकर तस्दीक किया क्योकि मु0 शान्ति हरज्ञान की पत्नि है तथा उसकी विरासत उनके नाम खुल चुकी है। इसलिये उक्त वादपत्र में वर्णित भूमि में मु0 शान्ति पत्नि नारायण का हिस्सा हजफ फरमाया जाना न्याय संगत है तथा मु0 शान्ति पत्नि नारायण का हिस्सा हजफ फरमाया जावे तथा उसके हिस्से को वादीगण के नाम वहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी कायम किया जावे। इस प्रकार वादपत्र के मद नं0 1 में वादीगण प्रत्येक 1/35, 1/35 के मद नं0 2 में 1/150, 1/150 मद नं0 3 में 1/30, 1/30 का, मद नं0 4 में 1/10, 1/10 का, मद नं0 5 में 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण को उक्त गलती का पता चलने पर वादीगण दिनांक 02.06.2025 को तहसीलदार जी से तहसील कार्यालय में दस्तावेजात लेकर मिला तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में दुरुस्त कराने को कहा तो उन्होने साफ इन्कार कर दिया और सक्षम न्यायालय से नाम दुरुस्त कराने का आदेश लाने को कहा, इसलिये दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर ग्राम बलेडी प0ह0 कटारा अजीज तहसील बालघाट के आराजी खसरा नम्बर 460/0.12, 460/599/0.06, 461/0.10, 481/0.13, 484/0.13, 487/0.07, 491/0.20, 496/0.38 कुल किता 8 कुल रकवा 1.22 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/42, 1/42 हिस्से व मु0 शान्ति पत्नि नारायण वहिस्सा 1/42 सम्पूर्ण हिस्स हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/35, 1/35 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 504 रकवा 0.04 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/180, 1/180 हिस्से व मु0 शान्ति वहिस्सा 1/180 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमायाकर वादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/150, 1/150 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 464 रकवा 0.05 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्से व मु0 शान्ति वहिस्सा 1/36 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/30, 1/30 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 200/0.46, 202/0.29, 25/564/0.10, 26/1.52, 27/0.71, 280/0.71, 287/0.56, 290/0.63, 291/0.72, 383/0.28, 432/0.38, 433/0.42, 459/0.




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-कौली

16, 459/600/0.06, 532/0.34, कुल किता 15 कुल रकवा 7.34 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम बलेडी पटवार हल्का कटारा अजीज तहसील बालघाट में वादपत्र में वर्णित आराजी में मु0 शान्ति पत्नि हरज्ञान व मु0 शान्ति पत्नि नारायण अंकित है जबकि नारायण व हरज्ञान दोनों खास भाई है। मु0 शान्ति हरज्ञान की पत्नि है। लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा नारायण की विरासत खोलते समय मु0 शान्ति को पत्नि मानकर व एक पुत्र के नाम सही नामान्तकरण खोलकर तस्दीक किया उसके बाद नारायण के विरासत खोलते समय वादीगण के साथ साथ मु0 शान्ति को नारायण की वारिस मानकर एकदम गलत तरीके से नामान्तकरण खोलकर तस्दीक किया। क्योंकि मु0 शान्ति हरज्ञान की पत्नि है तथा उसकी विरासत उनके नाम खुल चुकी है। उक्त आराजी में मु0 शान्ति पत्नि नारायण का हिस्सा हजफ फरमाया जाना न्याय संगत है तथा मु0 शान्ति पत्नि नारायण का हिस्सा हजफ फरमाया जावे तथा उसके हिस्से को वादीगण के नाम वहिस्सा बराबर बराबर खातेदार कायम किया जावे।

पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा में यह किया गया है कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 460/0.12, 460/599/0.06, 461/0.10, 481/0.13, 484/0.13, 487/0.07, 491/0.20, 496/0.38 कुल किता 8 कुल रकवा 1.22 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/42, 1/42 हिस्से व मु0 शान्ति पत्नि नारायण बहिस्सा 1/42 सम्पूर्ण हिस्स हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/35, 1/35 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
दोडाभीम, जिला-करौली


खसरा नम्बर 504 रकवा 0.04 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/180, 1/180 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/180 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमायाकर वादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/150, 1/150 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 464 रकवा 0.05 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/36 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/30, 1/30 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 200/0.46, 202/0.29, 25/564/0.10, 26/1.52, 27/0.71, 280/0.71, 287/0.56, 290/0.63, 291/0.72, 383/0.28, 432/0.38, 433/0.42, 459/0.16, 459/600/0.06, 532/0.34, कुल किता 15 कुल रकवा 7.34 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः राजीनामा तस्दीक फरमाकर आराजीयात वादपत्र में मु0 शान्ति पत्नि नारायण का हिस्सा हजफ फरमाकर उसका हिस्सा बराबर वादीगण करके दावा डिकी किया जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा का अवलोकन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वाद मनन व अवलोकन प्रतिवादीगण एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायहित स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम बलेडी आराजी खसरा नम्बर 460/0.12, 460/599/0.06, 461/0.10, 481/0.13, 484/0.13, 487/0.07, 491/0.20, 496/0.38 कुल किता 8 कुल रकवा 1.22 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/42, 1/42 हिस्से व मु0 शान्ति पत्नि नारायण बहिस्सा




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

1/42 सम्पूर्ण हिस्स हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/35, 1/35 के खातेदार काश्तकार , खसरा नम्बर 504 रकवा 0.04 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/180, 1/180 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/180 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमायाकर वादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/150, 1/150 के खातेदार काश्तकार , खसरा नम्बर 464 रकवा 0.05 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/36, 1/36 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/36 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/30, 1/30 के खातेदार काश्तकार , खसरा नम्बर 200/0.46, 202/0.29, 25/564/0.10, 26/1.52, 27/0.71, 280/0.71, 287/0.56, 290/0.63, 291/0.72, 383/0.28, 432/0.38, 433/0.42, 459/0.16, 459/600/0.06, 532/0.34, कुल किता 15 कुल रकवा 7.34 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार , खसरा नम्बर 426/556 रकवा 1.26 है0 में वादीगण प्रत्येक 1/12, 1/12 हिस्से व मु0 शान्ति बहिस्सा 1/12 सम्पूर्ण हिस्सा हजफ फरमाकर वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 1/10, 1/10 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/05/2026 को खुले न्यायालय मे लिखाया

जाकर सुनाया गया।



(अमन चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टिकेशकर, जिला-करौली